न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

(01) प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 25/2016
दायर दिनांक : 11.08.2016
आदेश दिनांक : 10.01.2019

—:अनवानः—

श्री केशरसिंह पिता निर्भयसिंह चौहान निवासी मानखण्ड तहसील मावली जिला उदयपुर

———प्रार्थी

—:: बनाम ::—

1. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये सक्षम अधिकारी/भू अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
2. परियोजना अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार, राजसमन्द

———विपक्षीगण

क्लेम आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 3 छ उप धारा 5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997
एवार्ड क्रमांक 3014(अ)/दिनांक 04.10.2013 दिनांक 01.02.2016

उपस्थितः—
1 श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता, प्रार्थी
2. श्री गिरीश तिवारी, अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 1
3. श्री कैलाश बोल्या, राजकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2

(02) प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 26/2016
दायर दिनांक : 22.07.2016
आदेश दिनांक : 10.01.2019

Scanned by CamScanner

—:अनवान:—

श्रीमती कमलादेवी पत्नी श्री घीसूलाल वसीटा (धोबी) निवासी होलीथडा कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द

———प्रार्थीया

—:: बनाम ::—

1. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये सक्षम अधिकारी/भू अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
2. परियोजना अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार, राजसमन्द

———विपक्षीगण

<u>क्लेम आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 3 छ उप धारा 5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997</u>

एवार्ड क्रमांक 3014(अ)/दिनांक 04.10.2013 दिनांक 01.02.2016

उपस्थितः—

1. श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता, प्रार्थी
2. श्री गिरीश तिवारी, अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 1
3. श्री कैलाश बोल्या, राजकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2

प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत सक्षम अधिकारी, भू अवाप्ति अधिकारी, राजसमन्द द्वारा प्रार्थी की ग्राम जावद, तहसील व जिला राजसमन्द में स्थित आराजी संख्या 861, 862, 863 को अवाप्त किये जाने के संबंध में पारित अवार्ड को इस आधार पर चुनौती दी गई कि उक्त अवार्ड कम जारी किया गया है तथा अवार्ड वृद्धि के लिये विभिन्न आधार अपने प्रार्थनापत्र में लिये गये हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से अवार्ड पत्रावली तंलब की गई।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त पत्रावली को आज दिनांक 10.01.2019 को सुनवाई हेतु तलब किया गया।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र मे यह वर्णित किया गया कि उक्त अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में प्रार्थी केसरसिंह व कमला द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल रिट याचिका संख्या 1946/2018 पेश किया गया जिसमें

Scanned by CamScanner

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.02.2018 को अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजा अदा करने के आदेश पारित किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं अवार्ड पत्रावली का भी अवलोकन किया गया।

उक्त प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत संशोधित अवार्ड जारी करने के आदेश दिये है। ऐसी स्थिति मे इस प्रकरण मे उच्च न्यायालय के आदेश के विपरित कोई भी आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त परिस्थिति मे इस प्रकरण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में निस्तारित किया जाता है। प्रकरण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की पालना हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

आदेश की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली सक्षम प्राधिकारी अधिकारी भू अवाप्ति/अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को लौटायी जावे तथा आदेश की एक–एक प्रति दोनो प्रकरण में सम्मिलित की जावें।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमंद

आदेश आज दिनांकः 10.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमंद

Scanned by CamScanner